[2019] 8 एस. सी. आर. 266

एम. डी. मन्नान @अब्दुल मन्नान

वी.

बिहार राज्य

(2011 की पुनरीक्षण याचिका (आपराधिक) संख्या 308)

में।

(2009 की आपराधिक अपील No.379)

14 फरवरी, 2019

[एन. वी. रमना और मोहन एम. शांतनागौदर

और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.235 (2)-सुनवाई जारी है

परिस्थिति-तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता को सक्षम कानूनी सहायता का लाभ नहीं मिला-ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं दिया मृत्युदंड के अधिरोपण के लिए प्रासंगिक सामग्री प्राप्त करने का कोई भी प्रयास करना-कोई शपथ पत्र नहीं मांगा गया था-- इस सवाल पर कि क्या कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ थीं, ट्रायल कोर्ट या अपीलीय अदालतों द्वारा संबोधित नहीं किया गया था-भले ही एस के तहत सुनवाई। 235 (2) सजा के सवाल पर 31.5.2007 पर तय किया गया था, यानी याचिकाकर्ता के फैसले की घोषणा और दोषसिद्धि के आदेश के दो दिन बाद, 29.5.2007 पर, याचिकाकर्ता को जेल हिरासत से पेश किए जाने के बाद सुनवाई 29.5.2007 पर ही कर दी गई थी।

और मृत्युदंड अधिरोपित किया गया था-एस के तहत सुनवाई के परीक्षण न्यायालय द्वारा तैयारी। 235 (2) ऐसा प्रतीत होता है कि कम समय की सूचना पर, जो प्रभावी रूप से कोई सूचना नहीं है, याचिकाकर्ता को एक प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया है

-

सुनना।

समीक्षाः आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या-दोषसिद्धि

एसएस के तहत। 376 और 302 और मौत की सजा-निचली अदालत और उच्च न्यायालय का समवर्ती निष्कर्ष-उसी के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज-समीक्षा याचिका भी खारिज-मोहम्मद में संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए दायर दूसरी समीक्षा याचिका। आरिफ मामला-आयोजितः लगभग आठ साल पहले दायर की गई पुनर्विचार याचिका को 24.08.2011 पर प्रसारित करके खारिज कर दिया गया था-इसके बाद भी, लगभग तीन के लिए।

266 एम. डी. मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

वर्षों से मौत की सजा का निष्पादन नहीं किया गया था-समीक्षा को फिर से खोलने और खुली अदालत में उसी की सुनवाई के लिए तत्काल आवेदन भी चार साल से अधिक समय से लंबित है।

मोहम्मद. आरिफ मामले में, याचिकाकर्ता समीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त करने का हकदार है जिसे परिसंचरण द्वारा खारिज कर दिया गया था, फिर से खोला गया और सुनवाई की गई खुला न्यायालय।

सजा/सजाः फांसी की सजा

के लिए प्रार्थना

परिवर्त्तन-आठ साल की लड़की का बलात्कार और हत्या-एस. एस. के तहत दोषसिद्धि। 376 और आई. पी. सी. की धारा 307 और मृत्युदंड समवर्ती निष्कर्ष

निचली अदालत और उच्च न्यायालय की-उसी के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज-समीक्षा याचिका-सजा को कम करने के सवाल तक सीमित समीक्षा-आयोजितः दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड दिया जाता है, जिसके लिए विशेष कारणों को दर्ज करना पड़ता है, जैसा कि एस में अनिवार्य है। 354 (3) सी. आर. पी. सी.-यह तय करने में कि क्या कोई मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है, क्रूरता, और/या अपराध की वीभत्स और/या जघन्य प्रकृति एकमात्र मानदंड नहीं है-न्यायालय को उसके मन की स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि पर भी विचार करना है। इसलिए, लागू करने से पहले

मृत्युदंड की अत्यधिक सजा, न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना होगा कि मृत्युदंड अनिवार्य है, अन्यथा दोषी समाज के लिए खतरा होगा-न्यायालय को आगे बढ़ना होगा स्वयं को संतुष्ट करें कि दोषी के सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है-इस मामले में, एक आठ वर्षीय निर्दोष लड़की याचिकाकर्ता की शारीरिक इच्छा और वासना का शिकार हो गई

यह विश्वास

था कि

परिस्थितिजन्य साक्ष्य और याचिकाकर्ता द्वारा जाँच के दौरान पुलिस के समक्ष किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर-यह ज्ञात नहीं था कि पीड़ित की हत्या के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कोई पूर्व-ध्यान था या नहीं-इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध घृणित था, लेकिन इस बात पर संदेह है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध को "दुर्लभ से दुर्लभतम" कहा जा सकता है या नहीं-याचिकाकर्ता इन सभी वर्षों से वस्तुतः एकांत कारावास में है-चिकित्सा साक्ष्य

पता चला कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था-फांसी के समय याचिकाकर्ता का मानसिक स्वास्थ्य एक प्रासंगिक शमन कारक है जिसे तत्काल मामले में ध्यान में रखा जाना चाहिए इसलिए, मौत की सजा की पुष्टि करना उचित नहीं है-याचिकाकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

कारावास, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, बिना किसी राहत या छूट के-आपराधिक न्याय प्रशासन-आपराधिक सुनवाई संहिता

प्रक्रिया, 1973 - s.354 (3) दंड संहिता, 1860 एस. एस. 376 और 302।

19] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.235 (2)-एस के तहत प्रभावी सुनवाई के लिए। 235 (2) , सुझाव है कि अदालत का इरादा है

अभियुक्त को विशेष रूप से मृत्युदंड दिया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त फिर से प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सके। अदालत के समक्ष कम करने वाली परिस्थितियों को रखते हुए मृत्युदंड

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 376 और 303-सुनवाई।

आपराधिक न्याय का प्रशासनः दोषी को कानूनी सहायता-आयोजितः सजा के सवाल पर सुनवाई के चरण सहित हर स्तर पर दोषी को प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता प्रभावी होनी चाहिए और भले ही आरोपी चुप रहा हो, अदालत संबंधित कारकों को उजागर करने के लिए बाध्य और कर्तव्यबद्ध होगी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

एकांत, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका की हानि आदि, कैदियों को अक्सर जेल में प्रवेश के बाद मानसिक बीमारी हो जाती है संबंधित जेल नियम भी पोस्ट की घटना को पहचानते हैं। मानसिक बीमारी का दोषसिद्धि और बताएँ कि ऐसे व्यक्ति का निष्पादनः सरकार के आदेशों-आपराधिक न्याय प्रशासन-के लंबित रहने पर इसे स्थगित कर दिया जाएगा।

मोहम्मद. आरिफ वी. उच्चतम न्यायालय के पंजीयक (2014) 9 एस. सी. सी. 737: [2014] 11 एस. सी. आर. 1009; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684; राजेश कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से) (2011) 13 एस. सी. सी. 706; सांता सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1976) 4 एस. सी. सी 190: [1977] 1 एस. सी. आर. 229; डागडू और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1977) 3 एससीसी 68: [1977] 3 एस. सी. आर. 636; माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983) 3

एस. सी. सी. 470 [1983] 3 एस. सी. आर. 413; संतोष कुमार

सतीशभूषण बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2009) 6 एससीसी 498: [2009] 9 एससीआर 90; अजय पंडित और एक अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2012) 8 एससीसी 43: [2012] 10 एस. सी. आर. 70; मोहिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2013) 3 एस. सी. सी. 295: [2013] 3 एससीआर 90; पंची और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 7 एस. सी. सी. 177: [1998] 1 पूरक। एससीआर 40; मुकेश और एक अन्य बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य (2017) 3 एस. सी. सी. 717; हारू घोष बनाम। स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. (2009) 15 एस. सी. सी. 551:

[2009] (13) एससीआर 847; डी. मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बी. आई. एच. ए. राज्य

लेहना बनाम। हरियाणा राज्य (2002) 3 एससीसी 76: [2002] 1 एस. सी. आर. 377; शत्रुघ्न चौहान और अन्न। वी. भारत संघ और अन्य। (2014) 3 एससीसी 1: : [2014] 1 एससीआर 609; सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन और अन्य। (1978) 4

एससीसी 494: [1979] 1 एस. सी. आर. 392; बिरजू बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2014) 3 एससीसी 421: [2014] 1 एस. सी. आर. 1047; रमेश और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य (2011) 3 एससीसी 685: [2011] 4 एससीआर 585; राम देव प्रसाद बनाम। बिहार राज्य (2013) 7 एससीसी 725: [2013] 6 एससीआर 108; सुशील शर्मा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2014) 4 एस. सी. सी. 317: [2013] 16 एससीआर 616; स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम। कर्नाटक राज्य (2008) 13 एस. सी. सी. 767 [2008] 11 एस. सी. आर. 93; सेबस्टियन @ चेविथियान बनाम. केरल राज्य (2010) 1 एस. सी. सी. 58; नवनीत कौर बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और एक अन्य (2014) 7 एस. सी. सी. 264; मुल्ला और एक अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 3 एस. सी. सी. 508: [2010] 2 एस. सी. आर. 633-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 11 एससीआर 1009

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

(1980) 2 एस. सी. सी. 684

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

(2011) 13 एस. सी. सी. 706

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[1977] 1 एससीआर 229

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[1977] 3 एससीआर 636

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[1983] 3 एससीआर 413

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

[2009] 9 एससीआर 90

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[2012] 10 एससीआर 70

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[2013] 3 एससीआर 90

उस पर भरोसा करें

पैरा 26

[1998] 1 पूरक। एस. सी. आर. 40 पर निर्भर

पैरा 27

(2017) 3 एस. सी. सी. 717

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[2009] 13 एससीआर 847

उस पर भरोसा करें

पैरा 29

[2002] 1 एससीआर 377

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[2014] 1 एससीआर 609

उस पर भरोसा करें

[1979] 1 एससीआर 392

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[2014] 1 एससीआर 1047

उस पर भरोसा करें

पै

रा 37

[2011] 4 एससीआर 585

उस पर भरोसा करें

पै

रा 57

[2013] 6 एससीआर 108

उस पर भरोसा करें

पै

रा 58

[2013] 16 एससीआर 616

उस पर भरोसा करें

पै

रा 60

[2008] 11 एससीआर 93

उस पर भरोसा करें

पै

रा 62

(2010) 1 एससीसी 58

उस पर भरोसा करें

पै

रा 63

(2014) 7 एससीसी 264

उस पर भरोसा करें

पै

रा 73

[2010] 2 एससीआर 633

उस पर भरोसा करें

पै

रा 88

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः याचिका की समीक्षा करें

(आपराधिक) 2009 की आपराधिक अपील संख्या 379 में 2011 की संख्या 308 2009 की आपराधिक अपील संख्या 379 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 20.04.2011 के निर्णय और आदेश से

सुश्री नित्या रामकृष्णन, शादन फरासत, यश एस. विजय, निन्नी सुसान थॉमस, सादूज़मान, नारायण, सुश्री जाह्नवी सिंधु,

अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए। देवाशीष भरुका, रवि भरुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, आदित्य सिंगला, मनु राजवंशी, एम. शोएब आलम, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

20.04.2011 इस न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2009 की आपराधिक अपील को खारिज करते हुए और अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 201,366 ए, 376 और 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए और अन्य बातों के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत उस पर लगाए गए मृत्युदंड की पुष्टि करते हुए पारित किया गया। 2. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता, एक राजमिस्त्री, मृतक पीड़ित के दादा के आवास पर काम कर रहा था। 28.9.2004 पर लगभग एम. डी. पर।

मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

2.00 अपराह्न, याचिकाकर्ता ने पीड़ित को उसके लिए पान लाने के लिए पैसे दिए

हनुमान चौक से। कुछ देर बाद याचिकाकर्ता भी हनुमान चौक गया, पीड़ित आठ साल की लड़की को अपनी साइकिल पर ले गया और उससे बात करने चला गया। गवाहों ने पीड़ित और याचिकाकर्ता को एक साथ देखा था।

3. पीड़ित घर नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी सघन तलाशी ली गई। पीड़ित नहीं मिला। पता चला है कि पीड़ित आखिरी बार याचिकाकर्ता के साथ देखा गया था।

4. बहेरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, जिसके तहत याचिकाकर्ता का गाँव आता है, को सूचित किया गया कि पीड़ित लापता है। जाँच के दौरान याचिकाकर्ता, जिसकी पहचान पहले उस व्यक्ति के रूप में की गई थी, जिसके साथ पीड़ित को आखिरी बार साइकिल पर सवार देखा गया था, ने कथित तौर पर गवाहों की उपस्थिति में एक इकबालिया बयान दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या की थी। इकबालिया बयान पर याचिकाकर्ता ने हस्ताक्षर किए थे। 5. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने उस जगह का खुलासा किया है जहां उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या की थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जांच अधिकारी गाँव इज़ार हाट बंद गए, जहाँ याचिकाकर्ता द्वारा दिखाए गए स्थान से पीड़ित का शव गेहूं और 'अरहर' खेतों के बीच बरामद किया गया था।

6. मृत शरीर की पहचान पीड़ित के रूप में की गई। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि मौत दम घुटने के कारण हुई थी

और पोस्टमॉर्टम जाँच के समय से 8 से 24 घंटे के भीतर गला घोंटने के परिणामस्वरूप रक्तस्राव। डॉक्टर ने यह भी कहा कि जाँच करने पर पीड़ित से एकत्र किए गए योनि के स्वाब से पता चला कि " कुछ अक्षत शुक्राणु "। चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। हालाँकि अभियोजन पक्ष द्वारा शुक्राणु का कोई डीएनए विश्लेषण नहीं किया गया था।

7. सत्रों में 29.5.2007 पर दिए गए निर्णय और आदेश द्वारा

2004 के जी. आर. सं. 325/2004 मणिगाची पी. एस. केस No.13 से उत्पन्न मुकदमे No.220/2004 में, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) No.30 ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर, याचिकाकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 366 ए, 376,302 और 201 के तहत आरोपों का दोषी ठहराया। उसी दिन सजा के सवाल पर आवेदक को सुनने के बाद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 366 ए, [2019] 8 एस. सी. आर. के तहत आरोप के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप के लिए आजीवन कारावास, आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत आरोप के लिए 7 साल के लिए कठोर कारावास और मृत्यु

आई. पी. सी. की धारा302 के तहत आरोप के लिए सजा। आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप के लिए सजा को छोड़कर सभी सजाएं आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत मौत की सजा के निष्पादन तक एक साथ चलनी थीं, जिसके तहत दोषी को उसकी मृत्यु तक गले से फांसी दी जानी थी।

8. विद्वत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की कार्यवाही को

मौत की सजा की पुष्टि के लिए पटना में उच्च न्यायालय। याचिकाकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में 2007 की आपराधिक अपील (डी. बी.) No.963 के रूप में अपील दायर की।

9. 2007 का मृत्युदंड संदर्भ संख्या 6 होने के कारण उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2007 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 963 के साथ सुनवाई की गई थी। डिवीजन बेंच, इसके बाद

अभिलेख पर सामग्री पर विचार करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 366 ए, 376,302 और 201 के तहत आरोप संदेह से परे साबित हुए थे और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। याचिका यह थी कि

खारिज कर दिया गया और निचली अदालत द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई।

10. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। छुट्टी थी। विधिवत प्रदान किया गया।

11. 2009 की आपराधिक अपील No.379 होने की अपील को इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 20.4.2011 के फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसकी समीक्षा की गई है, और मौत की सजा की पुष्टि इस अवलोकन के साथ की गई है कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है।

24.8.2011 पर उन्हीं दो न्यायाधीशों द्वारा प्रसार। 13. डब्ल्यू. पी. में 2.9.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा। (सीआरएल।) 2014 का सं. 77 (मो. आरिफ वी. उच्चतम न्यायालय के पंजीयक), ए

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि, मामलों में पुनर्विचार याचिकाएं

मौत की सजा की सुनवाई खुली अदालत में तीन न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए

1 (2014) 9 एससीसी 737 एम. डी.

मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

बेंच। संविधान पीठ ने विशेष रूप से उन सभी मामलों में समीक्षा याचिकाओं को फिर से खोलने की अनुमति दी, जहां समीक्षा याचिकाओं को प्रचलन द्वारा खारिज कर दिया गया था।

14. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मोहम्मद में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए। आरिफ (ऊपर) याचिकाकर्ता समीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त करने का हकदार है, जिसे प्रचलन द्वारा खारिज कर दिया गया था, फिर से खोला गया और खुले न्यायालय में सुनवाई की गई।

15. पुनरीक्षण के लिए इस याचिका में हमें मामले के गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निचली अदालत के समवर्ती निष्कर्ष हैं, उच्च न्यायालय

न्यायालय और इस न्यायालय का। यह समीक्षा केवल इस सवाल तक सीमित है कि क्या मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

16. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 2 में, इस न्यायालय ने मृत्युदंड की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि आजीवन कारावास नियम था और मृत्युदंड एक अपवाद था, जिसे विशेष कारणों को दर्ज करते हुए "दुर्लभतम से दुर्लभतम" मामलों में लगाया जाना था। बचन सिंह (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने प्रभावी रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने से पहले, गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ कम करने वाले कारक अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति होगी जिसमें अपराध किया गया हो सकता है, यह संभावना कि आरोपी समाज के लिए निरंतर खतरा नहीं होगा, आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना, मानसिक दोष या आरोपी की अव्यवस्था।

आदि।

17. राजेश कुमार बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार के माध्यम से) 3, इस न्यायालय ने कहाः

" 83. बचन सिंह में अनुपात को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समुदाय द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है और डेविड पैनिक ने मृत्युदंड की न्यायिक समीक्षा में इसका बहुत अनुकूल उल्लेख किया हैः डकवर्थ (पीपी देखें। 104-05) . रोजर हुड और कैरोलिन हॉयल द डेथ पेनल्टी, 4 थ एडन पर अपने ग्रंथ में। (ऑक्सफोर्ड) ने भी बचन सिंह अनुपात की बहुत सराहना की है (पी देखें। 285)। "दुर्लभतम में दुर्लभतम" की अवधारणा जिसमें है

इस न्यायालय द्वारा बचन सिंह में भी विकसित किया गया है

मृत्युदंड के मामलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक।

2 (1980) 2 एस. सी. सी. 684 3 (2011) 13 एससीसी 706 [2019] 8 एस. सी. आर.

84. इस संबंध में मृत्युदंड में विवेकाधिकार का प्रयोग करने में सही आधारित दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जा सकता है

इसका सुझाव ब्रिटिश बैरिस्टर एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने दिया था। [एडवर्ड फिट्जगेराल्डः बारबाडोस में मृत्युदंड सम्मेलन (3-5 जून) में पूंजीगत मामलों में शमन अभ्यासः सम्मेलन पत्र और सिफारिशें।] इसमें यह सुझाव दिया गया है कि मृत्युदंड के मामलों में विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए सही दृष्टिकोण मृत्युदंड के खिलाफ एक मजबूत धारणा से शुरू करना है। यह तर्क दिया जाता है कि "किसी भी महत्वपूर्ण शमन कारक की उपस्थिति मृत्युदंड से छूट को उचित ठहराती है, यहां तक कि

सबसे भीषण मामले "और फिट्जगेराल्ड का तर्क हैः " इस तरह के प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः सामान्य सजा आजीवन कारावास होनी चाहिए। मृत्युदंड केवल 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों में आजीवन कारावास के बजाय लगाया जाना चाहिए जहां अपराध या अपराध असाधारण जघन्यता के हैं और व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण शमन नहीं है और इसे सुधार से परे माना जाता है।

(द डेथ पेनल्टी में उद्धृत, रोजर हुड और हॉयल, चौथे

एडन। , ऑक्सफोर्ड, पी। 285.)

86. इन अपीलों में तथ्यों के समग्र दृष्टिकोण को लेते हुए और ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, हम मानते हैं कि अपीलार्थी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है क्योंकि

बचन सिंह में संविधान पीठ यह है कि विधायी

1973 की संहिता की धारा 354 (3) में नीति यह है कि एक व्यक्ति के लिए

मनुष्य की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता दिखाएँ जीवन जिसे कानून की साधनता के माध्यम से जीवन लेने के प्रतिरोध को स्वीकार करना चाहिए। "दुर्लभतम मामलों" और "विशेष कारणों" को छोड़कर मौत की सजा नहीं दी जा सकती है।

आजीवन कारावास के अधिरोपण का वैकल्पिक विकल्प "।

18. राजेश कुमार (ऊपर) में, आरोपी को आई. टी. और दो असहाय बच्चों की सबसे वीभत्स तरीके से हत्या का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने डी. मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम को दोहराते हुए कहा कि मौत की सजा नहीं दी जा सकती है।

बिहार राज्यआजीवन कारावास नियम था और मृत्युदंड एक अपवाद था जिसे "दुर्लभतम मामलों में दुर्लभतम" और "विशेष कारणों" के लिए अपनाया जाना था।

कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं थीं।

19. दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 235 निम्न स्तरों को पढ़ती हैः

" 235. दोषमुक्त या दोषसिद्धि का निर्णय। — (1) दलीलों और कानून के बिंदुओं (यदि कोई हो) को सुनने के बाद, न्यायाधीश एक

मामले में निर्णय।

(2) यदि अभियुक्त दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायाधीश, जब तक कि वह

धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आय,

सजा के सवाल पर आरोपी को सुनें, और फिर पास करें

उस पर कानून के अनुसार सजा "।

20. सी. आर. पी. सी. की धारा 235 (2) केवल औपचारिकता नहीं है। विद्वत विचारण न्यायाधीश की ओर से अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनना और उससे निपटना अनिवार्य है। सांता में जे. भगवती को उद्धृत करने के लिए

एच बनाम पंजाब राज्य 1.

" 2 . ..... यह प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट है और किसी भी संदेह को स्वीकार नहीं करता है। इसकी आवश्यकता है कि सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मुकदमे में, पहले अभियुक्त के अपराध के बारे में निर्णय होना चाहिए। न्यायालय को, पहली बार में, एक

अभियुक्त को दोषी ठहराने या बरी करने का निर्णय। यदि अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है, तो आगे कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर वह दोषी ठहराया जाता है, तो अदालत को "सजा के सवाल पर आरोपी को सुनना होगा, और फिर उसे कानून के अनुसार सजा सुनानी होगी"। जब अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कोई निर्णय दिया जाता है, तो उसे उस स्तर पर सजा के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाता है और उसे सुनने के बाद ही अदालत

सजा देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

3. धारा 235 (2) में यह नया प्रावधान इसके अनुरूप है -

दंड और सजा देने की प्रक्रियाओं में आधुनिक रुझान।

पुरानी संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। पुरानी संहिता के तहत, अभियुक्त जो कुछ भी प्रस्तुत करना चाहता था

तर्क से पहले उसे सजा सुनानी पड़ती थी। निष्कर्ष निकाला गया और फैसला सुनाया गया। वहाँ कोई नहीं था।

सजा के संबंध में सुनवाई के लिए अलग चरण। द.

अभियुक्त को सामग्री प्रस्तुत करनी थी और अपनी दलीलें प्रस्तुत करनी थीं

सजा के संबंध में इस धारणा पर कि वह अंततः दोषी ठहराए जाने वाला था। यह सबसे अधिक असंतोषजनक था। इसलिए, विधायिका ने निर्णय लिया कि जब आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, तभी सजा का सवाल सामने आना चाहिए।

विचार किया जाना चाहिए और उस स्तर पर अभियुक्त को सजा के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह महसूस किया गया कि सजा देना आपराधिक न्याय के प्रशासन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है।

बहुत अधिक परिणाम नहीं। अपराधी को उचित सजा देना अदालत के लिए कुछ चिंता का विषय होना चाहिए और इसलिए सजा सुनाने पर अदालत को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ..... कारण यह है कि एक उचित सजा कई कारकों का समामेलन है जैसे कि अपराध की प्रकृति,

अपराध की परिस्थितियाँ-अपराध को बढ़ाने या बढ़ाने वाली-, अपराधी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, अपराधी की उम्र, रोजगार के रूप में अपराधी का रिकॉर्ड, शिक्षा, घरेलू जीवन, प्रजनन और सामाजिक समायोजन के संदर्भ में अपराधी की पृष्ठभूमि, भावनात्मक और मानसिक

अपराधी की स्थिति, अपराधी के पुनर्वास की संभावना, अपराधी के उपचार या प्रशिक्षण की संभावना, यह संभावना कि सजा अपराधी या अन्य लोगों द्वारा अपराध के लिए निवारक के रूप में काम कर सकती है और वर्तमान समुदाय को, यदि कोई हो, विशेष प्रकार के अपराध के संबंध में इस तरह के निवारक के लिए आवश्यकता है। ये ऐसे कारक हैं जिन्हें अदालत द्वारा उचित सजा पर निर्णय लेने में ध्यान में रखा जाना चाहिए, और इसलिए, विधायिका ने महसूस किया कि, इस उद्देश्य के लिए, दोषसिद्धि के बाद एक अलग चरण प्रदान किया जाना चाहिए जब अदालत अभियुक्त को सुन सकती है।

अभियुक्त को सजा। 4. ..... सजा के सवाल पर सुनवाई को सभी अर्थों और विषय-वस्तु से रहित कर दिया जाएगा और यह एक बेकार औपचारिकता बन जाएगी, अगर इसे केवल मौखिक प्रस्तुतियों को सुनने तक सीमित रखा जाए, बिना एम. डी. को कोई अवसर दिए।

मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

पक्षकारों और विशेष रूप से अभियुक्तों को, सामग्री का उत्पादन करने के लिए

के प्रश्न पर असर डालने वाले विभिन्न कारकों के संबंध में

सजा, और यदि आवश्यक हो, तो उद्देश्य के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए

अदालत के समक्ष ऐसी सामग्री रखने के लिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि सांता सिंह (उपरोक्त) में व्याख्या की गई है, उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता को सजा के प्रश्न के संबंध में सुनवाई का अवसर देने के बाद उचित सजा देना। 22. डगडू और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 3 के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सांता सिंह (उपरोक्त) को संदर्भित किया और कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के अधिदेश का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। चंद्रचूड़, जे. ने अभिनिर्धारित कियाः

" 79. ..... न्यायालय, एक अभियुक्त को दोषी ठहराने पर,

निर्विवाद रूप से सजा के सवाल पर उसे सुनें। लेकिन अगर किसी भी कारण से, यह ऐसा करने से चूक जाता है और आरोपी एक

उच्च न्यायालय में इसकी शिकायत होने पर, यह उस न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनवाई देकर उल्लंघन का निवारण करे। वह अवसर वास्तविक और प्रभावी होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को अदालत के समक्ष उन सभी आंकड़ों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वह सजा के प्रश्न पर प्रस्तुत करना चाहता है। अभियुक्त अपने वकील को मौखिक रूप से बात करने का निर्देश देकर उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

न्यायालय में प्रस्तुतियाँ या वह, शपथ पत्र पर या अन्यथा, सजा के प्रश्न पर न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी रखना चाहता है, उसे लिखित रूप में रख सकता है। न्यायालय, उपयुक्त मामलों में, अभियुक्त को आवश्यक डेटा प्रस्तुत करने और सजा के प्रश्न पर अपनी दलीलें देने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए मामले को स्थगित कर सकता है। यह, शायद, अनिवार्य रूप से होना चाहिए जहां दृढ़ विश्वास है

पहली बार किसी उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है।

23. माछी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 'मामले में, यह न्यायालय

आयोजितः

" 38 ..... ((iv) उग्रता और शमन की एक तुलनपत्र

परिस्थितियों को तैयार करना होगा और ऐसा करने में

5 (1977) 3 एससीसी 68

(1983) 3 एससीसी 470 [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भरा हुआ

परिस्थितियों को कम करना होगा

बनो।

भार और एक न्यायपूर्ण संतुलन के बीच मारा जाना चाहिए

इससे पहले की स्थितियों को बढ़ाना और कम करना विकल्प का प्रयोग किया जाता है।

24. संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम राज्य

', इस न्यायालय ने टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

" 157. आनुपातिकता का सिद्धांत, जो प्रतीत होता है

वह आधार जिस पर विद्वत विचारण न्यायाधीश के साथ-साथ

उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड देने की नींव रखी यहाँ अपीलार्थी पर, न्यायोचित तर्क का प्रावधान है

मृत्युदंड देने के लिए। हालांकि, किसी भी लागू करते समय

यह निर्धारित करें कि क्या मामला सबसे दुर्लभतम के अंतर्गत आता है दुर्लभ मामला।

158. हमारी राय में, नीचे दी गई अदालतों द्वारा दिए गए कारण,

बचन सिंह परीक्षा को संतुष्ट न करें। संहिता की धारा 354 (3)

एक अपवाद प्रदान करता है। के सिद्धांत का सामान्य नियम अतः आनुपातिकता लागू नहीं होगी। हमें पढ़ना चाहिए

संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में कहा गया प्रावधान

भारत। बचन सिंह और माची सिंह द्वारा निर्धारित कानून

संहिता की धारा 354 (3) की व्याख्या की जानी चाहिए

हमारी संवैधानिक योजना का हिस्सा बनें।

159. यद्यपि संवैधानिक न्यायपीठ का निर्णय

बचन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश कि कौन से मामले "दुर्लभतम" के अंतर्गत आते हैं

दुर्लभ श्रेणी, फिर भी कम करने वाली परिस्थितियों में सूचीबद्ध और निर्णय द्वारा समर्थित सुधार और पुनर्वास देता है

बहुत महत्वपूर्ण है, यहां तक कि राज्य को यह साबित करने की आवश्यकता है कि

अदालत के समक्ष एक पूर्व शर्त के रूप में संभव नहीं होगा मौत की सजा सुनाई। इसलिए हम निर्धारित नहीं कर सकते।

केवल आनुपातिकता के आधार पर सजा। वहाँ है।

हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थी सुधार नहीं कर सकता है

और पुनर्स्थापित किया जाए।

•) 6 एस. सी. सी. 498 डी. मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

162. इसके अलावा निर्विवाद रूप से मृतक के शव को ठिकाने लगाने का तरीका और तरीका घृणित था।

हत्या का घृणित मामला। हालाँकि, हमारी राय है कि एक शव के निपटान का मात्र तरीका इसके द्वारा नहीं हो सकता है मृत्युदंड देने के उद्देश्य से किसी मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी में शामिल करने का आधार बनाया जाए। इस पर कई अन्य लोगों के साथ विचार करना पड़ सकता है।

कारक।

25. अजय पंडित और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 47. मृत्युदंड देना एक अपवाद है, नियम नहीं, और केवल दुर्लभतम मामलों में, अदालत मृत्युदंड दे सकती है। मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति की मानसिक स्थिति मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से समान नहीं हो सकती है। अदालत को प्रासंगिक तथ्यों को उजागर करने का कर्तव्य और दायित्व मिला है, भले ही आरोपी ऐसी स्थितियों में पूरी तरह से चुप रहा हो। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त से पूछताछ करते समय उन प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में संबोधित नहीं किया है और,

इसलिए, ठीक से नहीं करने में प्रक्रिया की एक बड़ी त्रुटि की

उद्देश्य और उद्देश्य को आत्मसात करना और समझना

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के पीछे।

26. मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 'मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 22. "दुर्लभतम से दुर्लभतम" का सिद्धांत दो पहलुओं को सीमित करता है और जब दोनों पहलू संतुष्ट हो जाते हैं तभी मौत की सजा दी जा सकती है। सबसे पहले, मामला स्पष्ट रूप से "दुर्लभ से दुर्लभतम" के दायरे में आना चाहिए और दूसरा, जब वैकल्पिक विकल्प को निर्विवाद रूप से बंद कर दिया जाता है। बचन सिंह ने अंतिम उपाय के रूप में मृत्युदंड का चयन करने का सुझाव दिया, जब आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा व्यर्थ होगी और कोई उद्देश्य पूरा नहीं करेगी।

23. आजीवन कारावास में, प्राप्त करने की संभावना है विभिन्न स्तरों पर निवारण, पुनर्वास और प्रतिशोध।

2) 8 एससीसी 43

लेकिन यही बात मृत्युदंड के मामले में लागू नहीं होती है। यह दोषी के पुनर्वास और सुधार की क्षमता की पूर्ण अस्वीकृति में अद्वितीय है। यह जीवन को बुझा देता है और इस तरह अस्तित्व को समाप्त करता है, इसलिए, जीवन से संबंधित किसी भी चीज़ को समाप्त कर देता है। यह दो दंडों के बीच बड़ा अंतर है। इस प्रकार, मृत्युदंड देने से पहले, इस पर विचार करना अनिवार्य है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, "दुर्लभतम से दुर्लभतम" उक्ति, मृत्युदंड और आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा के बीच इस अंतर का संकेत देती है। यहाँ प्रासंगिक प्रश्न यह निर्धारित करना होगा कि क्या सजा के रूप में आजीवन कारावास व्यर्थ होगा और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी कारण से पूरी तरह से रहित होगा। के रूप में

ऊपर चर्चा की गई है, आजीवन कारावास कहा जा सकता है

पूरी तरह से व्यर्थ, केवल तभी जब सजा देने के सुधार के उद्देश्य को असंभव कहा जा सकता है। इसलिए, "दुर्लभतम से दुर्लभतम" सिद्धांत के दूसरे पहलू को संतुष्ट करने के लिए, अदालत को स्पष्ट सबूत देना होगा कि दोषी क्यों उपयुक्त नहीं है।

किसी भी प्रकार की सुधारात्मक और पुनर्वास योजना के लिए "।

27. पंची और अन्य बनाम U.P.[1]0 की स्थिति में, यह न्यायालय

वेदः

" 20. ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में विशेष रूप से बूढ़े और कोमल उम्र के बच्चे की हत्याओं में क्रूरता बड़ी होती है। यह हो सकता है कि जिस तरह से हत्याओं को अंजाम दिया गया था, वह अपने आप में कोई हल्का पक्ष नहीं दिखा सकता है, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं है।

इन हत्याओं में विशिष्ट या बहुत विशेष। की क्रूरता

जिस तरह से हत्या की गई थी वह एक आधार हो सकता है

लेकिन यह निर्णय लेने के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है कि क्या यह मामला 'दुर्लभतम मामलों में से एक' है जैसा कि बचन सिंह में संकेत दिया गया है। मामला "।

28. मुकेश और एक अन्य वी। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और आर. एस., इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के पहले के प्रस्तावों पर विचार किया और सजा को कम करने के लिए परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अभियुक्त को शपथ पत्र दायर करने का अवसर देना उचित समझा।29. हारू घोष बनाम। W.B.[1]2 की स्थिति में, इस न्यायालय ने दो की नृशंस हत्या के मामले में मृत्यु को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया

7) 3 एस. सी. सी. 717 9) 15 एससीसी 551 एम. डी.

मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

असहाय व्यक्ति बिना किसी गलती के। हालाँकि, इस न्यायालय ने मौत की सजा को कम करने में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखाः

आई. अभियुक्त की ओर से कोई पूर्व-मध्यस्थता नहीं थी।

ii. अभिनय पल भर के उत्साह पर था;

iii. अभियुक्त के पास कोई हथियार नहीं था।

iv. यह अज्ञात था कि आरोपी ने किन परिस्थितियों में मृतक के घर में प्रवेश किया था और उसे लड़के पर हमला करने के लिए क्या प्रेरित किया था; और वी. जिस क्रूर तरीके से हत्या की गई वह मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता था और आरोपी के खुद दो नाबालिग बच्चे थे।

30. हारू घोष (ऊपर) में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की, ". जिस क्रूर तरीके से हत्या की गई थी और उसके बाद

मृतक के शरीर के अंगों को काटने में अभियुक्त की ओर से की गई कार्रवाई, मौत की सजा के पक्ष में स्वयं मार्गदर्शक कारक नहीं बनती है।

31. लेहना बनाम। हरियाणा राज्य ", इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति, जिसके कारण हमला हुआ, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, हालांकि यह दोषसिद्धि का न्याय करने के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता है। इस प्रश्न पर विचार करते समय यह निश्चित रूप से एक कारक है

वाक्य। 32. उपरोक्त मामले में भले ही अपराध के कारण तीन लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस अदालत ने सजा को कम करके संशोधित किया।

आजीवन कारावास के लिए मौत की सजा, यह देखते हुए कि अपराध करने के लिए किसी भी शैतानी योजना का कोई सबूत नहीं था, हालांकि यह कार्य क्रूर था।

33. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 28.2.2004 पर उसकी गिरफ्तारी के बाद से आवेदक को लगभग 15 बार जेल जाना पड़ा है। कई वर्षों तक हिरासत में और 11 वर्षों तक मौत की सजा पाए एक दोषी के रूप में, बिहार के भागलपुर जेल में एक एकल कोठरी उच्च सुरक्षा वार्ड में आभासी एकांत कारावास में रखा गया।

34. शत्रुघ्न चौहान और अन्र में। बनाम। भारत संघ और Ors.[1]4, इस न्यायालय ने यू. पी. जेल नियमावली और इसी तरह के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में दोषी ठहराए गए दोषियों की संभावना पर विचार किया और चर्चा की, जिन्हें मानसिक विकार के विकास के लिए मौत की सजा सुनाई गई है।

अन्य जेल नियमावली के प्रावधान। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

13 (2002) 3 एससीसी 76 14 (2014) 3 एससीसी 1 [2019] 8 एस. सी. आर.

" 86. उपरोक्त सामग्री, विशेष रूप से, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के निर्देश, जिनमें भारत एक पक्ष है, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पागलपन/मानसिक बीमारी/सिज़ोफ्रेनिया एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण परिस्थिति है, जो होनी चाहिए
इस न्यायालय द्वारा यह निर्णय लेने में विचार किया गया कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, "पागलपन" इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए एक प्रासंगिक पर्यवेक्षण कारक है।

87. इसके अलावा, यह स्थापित होने के बाद कि मौत का दोषी पागल है और इसे सक्षम डॉक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है,

निस्संदेह, अनुच्छेद 21 उसकी रक्षा करता है और ऐसे व्यक्ति को सक्षम से आगे स्पष्टीकरण के बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

उसकी मानसिक समस्याओं के बारे में अधिकार। विभिन्न देशों की टिप्पणियों पर भरोसा करके यह भी उजागर किया जाता है कि सभ्य देशों ने एक पागल व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी है। दोनों में सुस्थापित कानूनों को ध्यान में रखते हुए

राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, हम पागलपन को ऐसी परिस्थितियों में से एक मानते हैं जो मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की गारंटी देती हैं। कारावास "।

15 (1978) 4 एससीसी 494 16 (2014) 3 एससीसी 421 एम. डी.

मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

38. वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को कम करने वाली परिस्थितियों को दिखाने का अवसर नहीं दिया, इसके बावजूद

सजा के सवाल पर दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.PC) की धारा 235 (2) के तहत आरोपी को सुनना कर्तव्य है।

39. जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया, अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर विचार के चरण सहित सभी चरणों में कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार था। याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने के बाद, उसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ होने का लाभ दिया जाना चाहिए था ताकि वह उसका मार्गदर्शन और परामर्श कर सके और उसके प्रश्न पर एक प्रभावी सुनवाई प्राप्त करने में भी उसकी मदद कर सके।

वाक्य।

40. इस मामले में याचिकाकर्ता के साथ कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था। इसके अलावा याचिकाकर्ता को प्रदान की गई कानूनी सहायता थी अपर्याप्त। आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी सहायता वकील ने दोषसिद्धि के खिलाफ तर्क दिया, लेकिन मृत्यु के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा देने के लिए परिस्थितियों को कम करने के लिए अदालत का ध्यान आकर्षित करने का अवसर नहीं मांगा। उन्होंने केवल यह कहा कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया था।

41. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत प्रभावी सुनवाई के लिए, यह सुझाव दिया जाना चाहिए कि अदालत विशेष रूप से आरोपी को मौत की सजा देने का इरादा रखती है, ताकि आरोपी को मौत की सजा के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाया जा सके।

न्यायालय के समक्ष परिस्थितियों को कम करना। ऐसा नहीं किया गया है। निचली अदालत ने प्रासंगिक तथ्यों को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया। न ही निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को कम करने वाले कारकों को दर्ज करते हुए एक हलफनामा दायर करने का कोई अवसर दिया। इस प्रकार याचिकाकर्ता को प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया गया है।

42. इस न्यायालय के कथन के विपरीत, अन्य बातों के साथ-साथ, दगडू (ऊपर) और सांता सिंह (ऊपर) में याचिकाकर्ता को सजा के प्रश्न पर वास्तविक, प्रभावी और सार्थक सुनवाई नहीं दी गई थी। Cr.P.C की धारा 235 (2). याचिकाकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा इस आधार पर आजीवन कारावास में परिवर्तित की जा सकती है।

43. अभिलेखों से पता चलता है कि 29.5.2007 पर निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश सुनाए जाने के बाद, मामले को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31.5.2007 पर रखने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, उसी दिन यानी 29.5.2007 याचिकाकर्ता को जेल [2019] 8 एस. सी. आर. से पेश किया गया था।

डी और मौत की सजा सुनाई गई थी। मृत्यु को लागू करने का आदेश सुविधा के लिए नीचे दिया गया हैः

" 26 दोषी मो. मन्नान @अब्दुल मन्नान से निर्मित

जेल हिरासत।

27. सुना पी. पी. और दोषी के खिलाफ सजा देने के बिंदु पर दोषी के लिए विद्वान वकील। 28. दोषी के विद्वान वकील ने अपनी दलील में फिर दोहराया है कि दोषी को इसमें गलत तरीके से फंसाया गया है

मामला।

29. दूसरी ओर विद्वान पी. पी. ने दृढ़ता से कहा है कि दोषी का अपराध उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी उचित संदेहों से परे साबित हुआ है जिसे केवल बर्बर कार्य और पूरे समाज के खिलाफ कल्पना से परे अपराध के रूप में माना जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दोषी एक अन्य एस. टी. No.172/93 में आरोपी था।

जिसे कोर्ट ऑफ लर्नड डिस्ट्रिक्ट द्वारा निपटाया गया था और

सत्र न्यायाधीश, दरभंगा 18.9.1993 पर जिसमें दोषी ने समझौते की आड़ में उसे बरी कर दिया। यह विद्वान पी. पी. द्वारा अधिकतम सजा देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

इस मामले में दोषी के खिलाफ।

30. संबंधित पक्षों के प्रस्तुत करने और दोषी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए मैं पाता हूं कि दोषी का अपराध न केवल जघन्य और बर्बर है, बल्कि सामान्य रूप से समाज के खिलाफ अपराध है। दोषी को एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया है

उसके अपहरण के बाद वीभत्स और पूर्व नियोजित तरीके से

जिसे केवल अमानवीय और क्रूर कृत्य के रूप में माना जा सकता है।

31. दोषी के खिलाफ अधिकतम सजा देने से कानून का उद्देश्य पूरा होगा। दोषी मो. इसलिए मन्नान @अब्दुल मन्नान को 10 साल के लिए आर. आई. की सजा सुनाई गई है।

आई. पी. सी. की धारा 366 ए के तहत आरोप के लिए आर. आई., आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप के लिए आर. आई. और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत आरोप के लिए आर. आई. को सात साल के लिए पुरस्कृत किया गया।

आई. पी. सी. की धारा302 के तहत आरोप के लिए मृत्युदंड। आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप के लिए सजा को छोड़कर सभी सजाएं एक साथ तब तक चलेंगी जब तक कि

आई. पी. सी. की धारा302 के अधीन आरोप के लिए मृत्युदंड का निष्पादन जिसके द्वारा

दोषी को उसकी मृत्यु तक गले से फांसी दी जाएगी।

एम. डी. मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

32. इस मामले की पूरी कार्यवाही को प्रेषित किया जाए

राजधानी की पुष्टि के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना

सजा।

44. सजा के आदेश के अवलोकन पर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने केवल यह प्रस्तुत किया कि

याचिकाकर्ता को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था। उन्होंने सजा के संबंध में कोई दलील नहीं दी। उन्होंने आगे नहीं खोजा।

खुद को तैयार करने का समय, हालांकि एक दोषी के जीवन और मृत्यु का सवाल शामिल थे। विचारण न्यायालय विद्वान लोक अभियोजक के इस कथन के आधार पर आगे बढ़ा कि आरोप इससे आगे भी साबित हो चुके हैं।

उचित संदेह।

45. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि किया गया अपराध बर्बर था, और समाज के खिलाफ अपराध, कल्पना से परे था। द.

सवाल यह है कि क्या मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। 46. ट्रायल कोर्ट स्पष्ट रूप से विद्वान लोक अभियोजक की इस दलील से प्रभावित हुआ है कि दोषी, यानी याचिकाकर्ता, एसटी No.172/93 के एक अन्य सत्र मुकदमे में आरोपी था, जिसे विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, दरभंगा की अदालत ने 18.9.1993 पर निपटा दिया था। ट्रायल कोर्ट ने टिप्पणी की कि "दोषी

समझौते की आड़ में उसे बरी कर दिया। "

47. निचली अदालत ने जाहिरा तौर पर जिला और सत्र न्यायाधीश के अदालत द्वारा पारित 18.9.1993 के आदेश का अवलोकन नहीं किया है।

क्योंकि वह एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था, जिसे उसका अपहरण करने के बाद वीभत्स और ध्यानपूर्वक किया गया था। इसे केवल अमानवीय और क्रूर कहा जा सकता है।

49. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या विवेक को झकझोर देती है। यह बर्बर है। हालाँकि, इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि हत्या पूर्व-नियोजित थी। याचिकाकर्ता के पास कोई हथियार नहीं था। इसके अलावा, निचली अदालत के पास स्पष्ट रूप से [2019] 8 एस. सी. आर. नहीं है।

इस सवाल का जवाब दिया कि क्या यह अपराध दुर्लभतम अपराधों में से दुर्लभतम है और सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सिंह (उपरोक्त) मामले में इसकी पुष्टि की है।

50. मौत की सजा की चरम सीमा की पुष्टि करने के लिए उच्च न्यायालय का तर्क सुविधा के लिए नीचे दिया गया हैः

" 26 निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं की आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में प्रस्तुतियों के आधार पर अपीलकर्ता को मौत की सजा का चरम दंड दिया है और

यह पता लगाना कि अपराध न केवल जघन्य और बर्बर है, बल्कि सामान्य रूप से समाज के खिलाफ अपराध है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि को निचली अदालत द्वारा ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए था और इसलिए निचली अदालत द्वारा मौत की सजा देने के लिए विशेष कारण दिए गए हैं। दंड को कानून में दूषित किया जाता है।

27. मैंने सभी तथ्यों और उपरोक्त बातों पर विचार किया है।

अपीलार्थी को दी गई मृत्युदंड की पुष्टि की जानी चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए प्रस्तुतियाँ। इस संबंध में यह देखा गया है कि अपीलार्थी लगभग 42-43 वर्ष की आयु का एक परिपक्व व्यक्ति है। उसने जघन्य और बर्बर अपराध किया है

लगभग 7 वर्ष की एक लड़की का बलात्कार और हत्या, जो पतली और 4 'ऊँची थी। ऐसा बच्चा सामान्य स्थिति में वासना जगाने में असमर्थ था। सुनियोजित तरीके से उसका अपहरण कर लिया गया था

तरीका क्योंकि वह निर्दोष थी और समझ नहीं पाती थी

अपीलार्थी का अभिकल्पना। वह एक शैतानी अधेड़ उम्र के आदमी की असहाय शिकार बन गई जिस पर बच्चा एक बड़े व्यक्ति के रूप में भरोसा कर सकता था। चिकित्सीय साक्ष्य बलात्कार के समय बच्चे के चेहरे, नाखूनों और शरीर पर चोट पहुँचाने के क्रूर तरीके को दर्शाते हैं जिसके बाद हत्या कर दी गई थी। यह सब पूर्व नियोजित था जैसा कि अपहरण और एक अकेली जगह के चयन के तरीके से स्पष्ट है जहाँ अपराध किया गया था और शरीर को छुपाया गया था। एक बच्ची के खिलाफ इस तरह का अपराध निश्चित रूप से समाज के खिलाफ अपराध है। मामले के तथ्य, पीड़ित की उम्र और अपीलार्थी की उम्र के साथ लिए गए अपराध स्पष्ट रूप से मामले को 'दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम' की श्रेणी में लाते हैं जिसमें न्याय के हित में अधिकतम दंड की आवश्यकता होती है। ऐसे मामले में कम सजा का पुरस्कार उचित और पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए एम. डी. से संबंधित सामग्री को नजरअंदाज करने के बाद भी।

मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

अपीलार्थी का आपराधिक पूर्ववृत्त, मेरा विचार है कि अपीलार्थी अत्यधिक मृत्युदंड का हकदार है। इसलिए, निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी को दी गई मृत्युदंड की पुष्टि की जाती है और संदर्भ का सकारात्मक जवाब दिया जाता है। अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी जाती है।

51. जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया, उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपराध को दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में पाया और

पीड़ित की उम्र। इस तथ्य को कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थी, अप्रासंगिक के रूप में दरकिनार कर दिया गया है।

52. वकील ने प्रस्तुत किया, और ठीक ही कहा कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि निचली अदालत ने इस आधार पर कार्यवाही करके मौत की सजा देने में कानूनी रूप से गलती की थी कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास था, जब वह बरी हो गया था। 53. उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर मौत की सजा को बरकरार रखा कि दोषी सामग्री की अनदेखी करने के बावजूद मौत की सजा का हकदार है।

अपीलार्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में "। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है। इस अदालत ने अपराध की क्रूरता और जघन्यता और पीड़ित की उम्र को ध्यान में रखते हुए मौत की सजा की पुष्टि की और यह राय बनाई कि याचिकाकर्ता समाज के लिए खतरा था और आगे भी रहेगा। उसे सुधारा नहीं जा सका। 54. वकील ने प्रस्तुत किया कि अपराध की क्रूरता और पीड़ित की उम्र मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थी। इसके अलावा, इस न्यायालय की यह राय कि याचिकाकर्ता समाज के लिए खतरा होगा और इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, का कोई आधार नहीं था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दोषपूर्ण जांच के आधार पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया था।

55. वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही डॉ. पी. के. दास (चौथे अभियोजन गवाह) ने पीड़ित की योनि का स्वाब एकत्र किया था, जिसमें जांच में "कुछ अक्षत शुक्राणु" दिखाई दिए, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा कोई डी. एन. ए. विश्लेषण नहीं किया गया था या ऐसा करने की मांग नहीं की गई थी जिसके लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सके। उपरोक्त के समर्थन में

प्रस्तुत करते हुए, वकील ने कालू खान बनाम पर भरोसा रखा। राजस्थान राज्य "और संतोष कुमार (ऊपर)। 16 एस. सी. सी. 492 [2019] 8 एस. सी. आर.

56. डी. एन. ए. विश्लेषण करने के लिए अभियोजन पक्ष की चूक के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत पाए होंगे। इसके अलावा, जैसा कि वकील द्वारा सही तर्क दिया गया है, साक्ष्य की गुणवत्ता सजा देने के लिए प्रासंगिक कारक है।

57. रमेश और अन्य में v. राजस्थान राज्य ", इस न्यायालय ने टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

" 68. व्यावहारिक रूप से, संतोष कुमार मामले में मौत की सजा पर पूरे कानून का उल्लेख किया गया था। पैरा 56 में न्यायालय ने कहाः

(एस. सी. सी पी. 527)

'56 . ..... अदालत को सभी को दर्ज करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए

इस स्तर पर प्रासंगिक जानकारी। अपराध से संबंधित कुछ जानकारी को सजा सुनाने से पहले के चरण से निकाला जा सकता है। इस जानकारी में अपराध की प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव, दोषी की दोषसिद्धि आदि से संबंधित पहलू शामिल होंगे। साक्ष्य की गुणवत्ता भी एक प्रासंगिक कारक है। उदाहरण के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य या बाल गवाह पर निर्भरता की सीमा सजा के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अधिकांश मृत्युदंड के मामलों में विशेषताओं और सामाजिक से संबंधित जानकारी की बहुत कमी है।

अपराधी की आर्थिक पृष्ठभूमि। विधि आयोग की 48 वीं रिपोर्ट में भी यह मुद्दा उठाया गया था।

58. राम देव प्रसाद बनाम। बिहार राज्य ", इस न्यायालय ने संतोष कुमार मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया।

सतीशभूषण बरियार (ऊपर) और रमेशंद अन्य (ऊपर) ने पुष्टि की कि मौत की सजा के सवाल पर विचार करने में साक्ष्य की गुणवत्ता भी एक प्रासंगिक कारक थी। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने चार साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए दी गई मौत की सजा की पुष्टि करना असुरक्षित महसूस किया। 59. इस मामले में, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य और याचिकाकर्ता द्वारा जांच के दौरान पुलिस के समक्ष किए गए कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित है, जिसके आधार पर कुछ बरामदगी की गई थी। कोई फोरेंसिक सबूत नहीं है

याचिकाकर्ता के खिलाफ। हमारे विचार में, याचिकाकर्ता पर मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखना असुरक्षित होगा। 18 (2011) 3 एस. सी. सी. 685

1 9 19 (2013) 7 एस. सी. सी. 725 एम. डी.

मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

60. सुशील शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 2 0 में इस न्यायालय ने मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार किया और मृत्युदंड नहीं दिया क्योंकि एकमात्र साक्ष्य परिस्थितिजन्य था और कुछ ऐसे कारक थे जो अपीलार्थी के लाभ के लिए थे। इस न्यायालय ने कहाः

" 101. हम उपरोक्त निर्णयों से देखते हैं कि केवल हत्या की क्रूरता या मारे गए व्यक्तियों की संख्या या जिस तरह से शव का निपटान किया जाता है, वह हमेशा आश्वस्त नहीं करता है

यह न्यायालय मृत्युदंड देता है। इसी तरह, कभी-कभी, विशिष्ट तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, इस न्यायालय ने उन मामलों में मृत्युदंड देना उचित नहीं समझा है, जो परिस्थिति पर आधारित हैं।

साक्ष्य या केवल अनुमोदक के साक्ष्य पर।

61. कालू खान (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम राज्य मामले में अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया।

कर्नाटक 2 1 ने अभिनिर्धारित किया कि मामले के तथ्यों में, परिस्थितियों के संतुलन ने "दोषपूर्ण गणना" में अनिश्चितता पैदा की और इसलिए मृत्युदंड के अधिरोपण का एक विकल्प था।

तदनुसार, सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

62. संतोष कुमार (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि जबकि किसी मामले में मृत्युदंड देने में कानून में कोई निषेध नहीं है -

परिस्थितिजन्य साक्ष्य, लेकिन उस साक्ष्य को एक असाधारण मामले की ओर ले जाना चाहिए। कहा गया थाः

" 167. अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सरकारी गवाह के साक्ष्य पर निर्भर करता है। मृत्युदंड देने के उद्देश्य से उस कारक को ध्यान में रखना पड़ सकता है। हम मान लेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद (20) में, इस न्यायालय ने एक ठोस कानून निर्धारित नहीं किया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जुड़े मामले में, मृत्युदंड की सजा की अनुमति नहीं होगी। लेकिन, इसके संबंध में भी जो प्रश्न उत्पन्न होगा वह यह होगा कि क्या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ अनुमान, उस तरीके के संबंध में कुछ परिकल्पना आवश्यक होगी जिसमें अपराध किया गया था।

एक ऐसा मामला जिसमें घटना के तरीके की कोई भूमिका नहीं थी। यहां तक कि जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मौत की सजा दी जानी है, वहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो एक असाधारण मामले की ओर ले जाए।

20 (2014) 4 एस. सी. सी. 317 21 (2008) 13 एससीसी 767 [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

63. सेबेस्टियन @चेविथियान बनाम केरल राज्य में, यह न्यायालय

आयोजितः

" 18. हमारा मानना है कि इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में मृत्युदंड को कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

जीवन भर के लिए लेकिन स्वामी में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों में

अनावश्यक।

64. वकील ने अंत में प्रस्तुत किया कि कानूनी सहायता वकील ने प्रतिनिधित्व किया

याचिकाकर्ताओं के पास याचिकाकर्ता के सुधार की संभावना के बारे में साक्ष्य देने की सकारात्मक जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। सुधार पर साक्ष्य अपराध की परिस्थितियों से स्वतंत्र होना चाहिए। इस संदर्भ में, राजेश कुमार (ऊपर), संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार (ऊपर) और लेहना (ऊपर) पर निर्भरता रखी गई है।

65. वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया कानूनी प्रतिनिधित्व सभी चरणों में अप्रभावी था। याचिकाकर्ता नहीं था 21.2.2004 पर आरोप तय करने के समय, विचारण न्यायालय के समक्ष वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। 6.6.2005 पर याचिकाकर्ता ने कानूनी सहायता के लिए अनुरोध किया। सजा सुनाने के दौरान वकील ने कम करने वाली परिस्थितियों को रखने के लिए भी समय नहीं मांगा।

66. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं था

केवल विचारण न्यायालय में बल्कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष भी अप्रभावी। सजा के सवाल पर दोषी का बचाव करने के लिए अप्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व कोई कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं है और मौत की सजा को कम करने का आधार है। इस प्रस्ताव का समर्थन मिलता है

67. विद्वान वकील ने इस न्यायालय के विभिन्न आदेशों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है जहां इस न्यायालय ने इसे कम करने पर विचार किया है। बलात्कार से जुड़े मामलों में परिस्थितियाँ और परिवर्तित मौत की सजा

और एक नाबालिग की हत्या। दुर्भाग्य से, उन आदेशों को निचली अदालत के समक्ष नहीं रखा जा सका। अगर उन आदेशों पर ध्यान दिया जाता, तो याचिकाकर्ता

हो सकता है कि उसे मौत की सजा न दी गई हो।

68. मुकेश और अन्र पर भरोसा करते हुए। (ऊपर), वकील ने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय द्वारा एकत्र किए गए हलफनामे या सामग्री के लिए कॉल कर सकता है

याचिकाकर्ता के वकील, अदालतों में सजा सुनाने में कमी को ठीक करने के लिए

22 (2010) 1 एस. सी. सी 58 एम. डी.

मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

नीचे। याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ साक्षात्कार किए हैं और निम्नलिखित कारकों पर विचार करने की आवश्यकता हैः

(i) याचिकाकर्ता ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया है।

((ii) उन्हें कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है।

(iii) उन्होंने 15 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया जब उनके पिता एक आघात से पीड़ित होने के बाद अपने शेष जीवन के लिए अक्षम हो गए थे।

((iv) याचिकाकर्ता की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी और उसके पांच आश्रित हैं।

बच्चे

(v) याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी और बच्चों का समर्थन करने के लिए संघर्ष किया
((vi) परिवार घोर गरीबी में है।

69. वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के साथ बातचीत के दौरान, वह वास्तविकता की समझ खो देता था और काल्पनिक व्यक्तित्वों के बारे में बात करता था जिन्हें उसने जिन्न के रूप में वर्णित किया था। वह. होने पर अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण खोने का दावा किया। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता मन की अस्थिरता से पीड़ित था। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है किः

(i) याचिकाकर्ता को अपने जीवन के दौरान उसके सिर में कई घातक चोटें आई थीं, जिससे लगातार सिरदर्द हो रहा था।

(ii) याचिकाकर्ता को दरभंगा मेडिकल में डेढ़ साल तक मेनिन्जियल ट्यूबरकुलोसिस या ब्रेन टीबी का निदान और इलाज किया गया था। वर्ष 1990 के आसपास कॉलेज। दुर्भाग्य से उस समय के अभिलेखों का पता नहीं लगाया जा सकता है।

(iii) याचिकाकर्ता की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों ने याचिकाकर्ता के लिए अपनी मानसिक अस्थिरता के लिए प्रभावी उपचार का लाभ उठाना असंभव बना दिया।

70. एक सलाहकार मनोचिकित्सक, डॉ. कौस्तुभ जोग के प्रतिलेख हैं, जिन्होंने 29.10.2008 पर राय दी है कि "एक प्रबल संभावना है कि

याचिकाकर्ता जैविक (तंत्रिका संबंधी) और/या मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से पीड़ित हो सकता है "और मनोविकृति स्पेक्ट्रम और जैविक मस्तिष्क क्षति पर एक मूल्यांकन की सलाह दी जिसने उसे बदल दिया हो सकता है। व्यवहार। डॉ. कौस्तुभ जोग, एम. डी. की राय की एक प्रति बनाई गई है। डॉ. जोग स्पष्ट रूप से पंजीकृत [2019] 8 एस. सी. आर. के मनोचिकित्सक हैं।

महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद के साथ, जिनके कई प्रकाशन हैं और वे पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं।

71. वकील प्रस्तुत करता है कि यदि यह न्यायालय आवेदक को एक

अवसर पर, उपर्युक्त कारकों को रिकॉर्ड पर रखते हुए एक हलफनामा दायर किया जाएगा। वकील प्रस्तुत करता है कि दोषपूर्ण सजा प्रक्रिया के आलोक में, जैसा कि बताया गया है, यह न्यायालय सामाजिक-आर्थिक पर विचार कर सकता है याचिकाकर्ता की स्थितियों और मानसिक बीमारी की चिंताओं के साथ-साथ अन्य कम करने वाले कारक जैसे कि रिकॉर्ड पर आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, याचिकाकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए।

कारावास।

72. लगभग आठ साल पहले दायर की गई पुनर्विचार याचिका इस प्रकार थी

ऊपर देखा गया, 24.08.2011 पर प्रचलन द्वारा खारिज किया गया। इसके बाद भी लगभग तीन साल तक मौत की सजा नहीं सुनाई गई। यह

समीक्षा को फिर से खोलने और ओपन कोर्ट में उसी की सुनवाई के लिए आवेदन भी चार साल से अधिक समय से लंबित है। हलफनामे के लिए बुलाने से केवल मामले में देरी होगी। याचिकाकर्ता इन सभी वर्षों से किसी न किसी आधार पर वस्तुतः एकान्त कारावास में रहा है, यह उसकी अपनी सुरक्षा का आधार हो सकता है। यह न्यायालय मनोचिकित्सक डॉ. जोग की राय का न्यायिक संज्ञान भी ले सकता है जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है।

73. लेहना (ऊपर) शत्रुघ्न चौहान (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मानसिक बीमारी इस मामले में पर्यवेक्षण करने वाली परिस्थितियों में से एक है।

मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना। उपरोक्त दृष्टिकोण की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा नवनीत कौर बनाम मामले में की गई थी। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य 2 3.

74. कानून का प्रस्ताव जो ऊपर उल्लिखित निर्णयों से उभरता है, वह स्वयं मौत की सजा नहीं है सिवाय इसके कि

दुर्लभतम मामले, जिनके लिए विशेष कारण दर्ज किए जाने हैं, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) में अनिवार्य है। यह तय करने में कि क्या कोई मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है, क्रूरता, और/या अपराध की वीभत्स और/या जघन्य प्रकृति एकमात्र मानदंड नहीं है। यह केवल अपराध नहीं है जिसे न्यायालय को ध्यान में रखना है, बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि आदि पर भी विचार करना है। मृत्युदंड देना एक अपवाद है, और आजीवन कारावास नियम है।

23 (2014) 7 एस. सी. सी 264 एम. डी.

मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

75. इसलिए, मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देने से पहले, न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना होगा कि मृत्युदंड अनिवार्य है, अन्यथा दोषी समाज के लिए खतरा होगा, और दोषी को सजा के प्रश्न पर सुनवाई का एक प्रभावी, सार्थक, वास्तविक अवसर देने के बाद, सामग्री प्रस्तुत करके दोषी के सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।

76. सजा के सवाल पर सुनवाई के चरण सहित हर स्तर पर दोषी को प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता

प्रभावी और भले ही अभियुक्त चुप रहा हो, न्यायालय बाध्य होगा और प्रासंगिक कारकों को उजागर करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा। दोषी को सजा में कमी लाने के लिए कम करने वाली परिस्थितियों को दर्ज करने और बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए था। 77. याचिकाकर्ता को, जैसा कि ऊपर देखा गया है, सक्षम कानूनी सहायता का लाभ नहीं मिला। विचारण न्यायालय ने भी मृत्युदंड के अधिरोपण से संबंधित सामग्री प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। कोई शपथ पत्र नहीं मांगा गया था। सवाल यह है कि क्या कोई शमन था

परिस्थितियों को विचारण न्यायालय या अपीलीय द्वारा संबोधित नहीं किया गया था अदालतें।

78. जैसा कि ऊपर देखा गया है, भले ही सजा के प्रश्न पर धारा 235 (2) के तहत सुनवाई 31.5.2007 पर तय की गई थी, यानी निर्णय की घोषणा और दोषसिद्धि के आदेश के दो दिन बाद

याचिकाकर्ता, 29.5.2007 पर, याचिकाकर्ता को जेल हिरासत से पेश किए जाने और मौत की सजा सुनाए जाने के बाद सुनवाई को 29.5.2007 तक ही बढ़ा दिया गया था।

79.उसी दिन मृत्युदंड का अधिरोपण

निर्णय की घोषणा और दोषसिद्धि का आदेश, अपने आप में, सजा को दूषित नहीं कर सकता है, बशर्ते कि दोषी को धारा 235 (2) Cr.P.C के तहत सजा के प्रश्न पर एक सार्थक और प्रभावी सुनवाई दी जाए, जिसमें रिकॉर्ड को कम करने वाले कारकों को लाने का अवसर दिया जाए।

80. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत सुनवाई न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना। अल्प सूचना पर पी. सी., जो प्रभावी रूप से कोई सूचना नहीं है, प्रतीत होता है

याचिकाकर्ता ने एक प्रभावी सुनवाई से इनकार कर दिया। धारा 235 (2) के तहत सुनवाई को केवल औपचारिकता में बदल दिया गया था। अदालत ने उस अपराध की कायरतापूर्ण प्रकृति को देखते हुए जल्दबाजी में मौत की सजा सुनाई, जिसके लिए याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था।

81. इस मामले में, एक आठ साल की मासूम लड़की याचिकाकर्ता की शारीरिक इच्छा और वासना का शिकार हो गई। यह ज्ञात नहीं है कि वहाँ

यह समाज के लिए एक खतरा बना रहेगा और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए केवल मौत की सजा दी जा सकती है। 83. केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता और/या उसके वकील ने सजा के प्रश्न पर चुप रहना चुना और विचारण न्यायालय या उच्च अपीलीय न्यायालयों में इसके संबंध में कोई प्रस्तुति नहीं दी, याचिकाकर्ता को इस स्तर पर कम करने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को उत्तेजित करने से नहीं रोकता है, क्योंकि रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों का जीवन और मृत्यु से संबंधित मामलों पर कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है।

84. यह न्यायालय के लिए खुला है कि वह पर्याप्त अवसर देने के बाद या तो सजा के प्रश्न को नए सिरे से विचार के लिए विचारण न्यायालय को भेज सकता है।

याचिकाकर्ता को सुनवाई देकर उल्लंघन की सुनवाई या सुधार करने के लिए, जैसा कि दगडू (ऊपर) में आयोजित किया गया है। कार्यवाही के लंबे समय तक लंबित रहने सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने पर, हमने बाद के पाठ्यक्रम का विकल्प चुना है।

85. यह दुनिया भर में अच्छी तरह से माना जाता है कि जेलों में प्रचलित कठिन परिस्थितियों, जैसे कि मजबूर एकांत, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका की हानि आदि के कारण, कैदियों को अक्सर जेल में प्रवेश के बाद मानसिक बीमारी हो जाती है। याचिकाकर्ता लंबे समय से कारावास से गुजर रहा है जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रभावी रूप से एकांत है, हालांकि इसे एकांत कारावास नहीं कहा जाता है। इस न्यायालय में

शत्रुघ्न चौहान (ऊपर) के मामले में, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए, "पागलपन" को एक प्रासंगिक पर्यवेक्षण माना गया है। ऐसा कारक जिसे अदालतों द्वारा मृत्युदंड देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, इस न्यायालय ने इसमें कहा था कि अनुच्छेद 21 ऐसे व्यक्तियों को आगे एम. डी. प्राप्त किए बिना फांसी दिए जाने से बचाता है।

मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

सक्षम प्राधिकारी से स्पष्टीकरण। अंत में, इस पर निर्भरता रखना

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले कानून, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मानसिक बीमारी एक प्रासंगिक कारक है जो वारंट करता है मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना।

86. यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि संबंधित जेल नियम भी दोषसिद्धि के बाद की मानसिक बीमारी की घटना को मान्यता देते हैं और बता दें कि ऐसे व्यक्तियों की फांसी को सरकार के आदेशों के लंबित रहने तक स्थगित कर दिया जाएगा। उपरोक्त विचारों के संदर्भ में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्पादन के समय याचिकाकर्ता का मानसिक स्वास्थ्य एक प्रासंगिक शमन कारक है जिसे वर्तमान मामले में ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर देखा गया है, वहाँ सामग्री आगे रखी गई हैं

अब, चिकित्सा राय के रूप में, जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करना उचित और/या सुरक्षित नहीं होगा।

" 92. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है। सजा सुनाने के मुद्दे के दो पहलू हैं। एक वाक्य हो सकता है
अत्यधिक और अनुचित रूप से कठोर या यह अत्यधिक हो सकता है

असमान रूप से अपर्याप्त। जब कोई अपीलार्थी मुकदमे द्वारा दी गई मौत की सजा लेकर इस न्यायालय में आता है न्यायालय
और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, यह न्यायालय, जैसा कि वर्तमान अपील में पाया जा सकता है, कि मामला दुर्लभतम श्रेणी से कम है और मृत्युदंड का समर्थन करने में कुछ अनिच्छुक महसूस कर सकता है। लेकिन साथ ही, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय दृढ़ता से महसूस कर सकता है कि छूट के अधीन आजीवन कारावास की सजा

आम तौर पर 14 साल की अवधि के लिए काम करना अत्यधिक असमान और अपर्याप्त होगा। फिर अदालत को क्या करना चाहिए? यदि न्यायालय का विकल्प केवल दो दंडों तक सीमित है, एक कारावास की सजा, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, 14 वर्ष से अधिक नहीं और दूसरी मृत्यु, तो न्यायालय प्रलोभन महसूस कर सकता है और खुद को मृत्युदंड का समर्थन करने के लिए प्रेरित पा सकता है। इस तरह का रास्ता वास्तव में विनाशकारी होगा। एक कहीं अधिक न्यायसंगत, उचित और उचित तरीका यह होगा कि विकल्पों का विस्तार किया जाए और वास्तव में कानूनी रूप से क्या लिया जाए।

24 बिहार जेल नियमावली 2012, नियम 642 [2019] 8 एस. सी. आर.

यह न्यायालय से संबंधित है अर्थात 14 साल के कारावास और मृत्यु के बीच का विशाल अंतराल। इस बात पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि न्यायालय मुख्य रूप से विस्तारित विकल्प का सहारा लेगा क्योंकि मामले के तथ्यों में, 14 साल की सजा

कारावास सजा के बराबर होगा। ”

88. मुल्ला में और एक अन्य वी। U.P.25 की स्थिति में, इस न्यायालय ने पुष्टि की है कि यह न्यायालय के लिए कारावास की अवधि निर्धारित करने के लिए खुला है। यह विशेष रूप से उन मामलों में सच है जहां मौत की सजा को आजीवन कारावास से बदल दिया गया है। इस न्यायालय ने कहा, "न्यायालय को कारावास की अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो किए गए अपराध के लिए पर्याप्त होगा।"

89. भले ही आजीवन कारावास का अर्थ है पूरे जीवन के लिए कारावास, दोषियों को अक्सर राहत और/या सजा में छूट दी जाती है।

कम से कम 14 साल के कारावास के बाद। इस मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध की जघन्य, विद्रोही, घृणित और घृणित प्रकृति को देखते हुए, हम महसूस करते हैं कि याचिकाकर्ता को अपनी स्वाभाविक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा काटनी चाहिए और उसे सजा में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए।

90. इसलिए, हम याचिकाकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा को बिना किसी राहत या छूट के, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, आजीवन कारावास में बदल देते हैं।

91. समीक्षा याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल

निपटाई गई

याचिका की समीक्षा करें।